

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक-..... /

दिनांक-.....

संसं-03/उ० नि०/प्रशि० (सिपेट)/03/2014

प्रेषक,

एस० सिद्धार्थ  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:-

वित्तीय वर्ष-2015-16 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को राज्य के 38 जिलों में 440 युवकों/युवतियों को Aircondition Refregeration & Repair & Maintenance Cum EDP, Auto & Motorcyle Repair एवं Mobile Repair & Maintenance Cum EDP cum EDP ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित राशि से ₹74,97,600 (चौहत्तर लाख सनतानवे हजार छः सौ) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1931, दिनांक-30.10.15 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष-2015-16 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को राज्य के 38 जिलों में 440 युवकों/युवतियों को Aircondition Refregeration & Repair & Maintenance Cum EDP, Auto & Motorcyle Repair एवं Mobile Repair & Maintenance Cum EDP cum EDP ट्रेडों में प्रशिक्षण देने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा उपबंधित राशि से ₹74,97,600 (चौहत्तर लाख सनतानवे हजार छः सौ) मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

- पूर्व निर्धारित विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा।
- प्रशिक्षण की अवधि 3 माह की होगी।
- प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियेट/समकक्ष मान्य होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी 17040/- की दर से संस्थान को भुगतान की जायेगी।
- अनुसूचित जाति एवं जन जाति के युवा एवं युवतियों को प्रशिक्षण में प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष-"मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0135 इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड P2852801020135, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5428, विषय शीर्ष 20 03 प्रशिक्षण व्यय मद" के अन्तर्गत ₹74,97,600 (चौहत्तर लाख सनतानवे हजार छः सौ) मात्र पुनर्विनियोग के माध्यम से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1490, दिनांक-29.03.2016 द्वारा उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी कर आर० टी० जी० एस०/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उद्यमिता विकास संस्थान, पटना को उपलब्ध कराएंगे।
- इस योजना मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे। जो इसका अनुश्रवण करेंगे। ए०सी०-डी०सी० विपत्र का समायोजन हेतु संबंधित संस्था द्वारा मुल अभिश्रव उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। जो समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुये उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- राशि की निकासी BTC-26 पर की जायेगी।



11. योजना के लेखा जोखा की पुर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी निदेशक, उद्यामिता विकास संस्थान, बिहार, पटना की होगी।
12. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन सचिका संख्या-03/उ0 नि0/प्रशि0(सिपेट)/03/2014 के पृष्ठ-67/टि0 प0 पर दिनांक 31.03.2016 को प्राप्त है।
13. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-03/उ0 नि0/प्रशि0(सिपेट)/03/2014 के पृष्ठ-67/टि0 पर दिनांक 31.03.2016 को प्राप्त है।
14. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि0(2), दिनांक-18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि0 (2), दिनांक-17.04.98 की कंडिका-2 एवं पत्रांक-2938 वि0 (2), दिनांक-08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 की कंडिका-15 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. वित्त विभागीय पत्रांक:-7355/वि0(2), दिनांक:-05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-  
(एस0 सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं०सं०-03/उ0 नि0/प्रशि0(सिपेट)/03/2014

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(एस0 सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक...../  
सं०सं०-03/उ0 नि0/प्रशि0(सिपेट)/03/2014

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(एस0 सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक..... 31.03.16

ज्ञापांक..... 1277 /  
सं०सं०-03/उ0 नि0/प्रशि0(सिपेट)/03/2014

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक (खा0 प्र0)/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, उद्यामिता विकास संस्थान, पटना/निदेशक, तक0, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/03/2016  
(एस0 सिद्धार्थ)  
प्रधान सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
66  
3/13